

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

प्रेषक:

विकास कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित),
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

मुख्य अभियंता अभियंता,
ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, रांची।

रांची दिनांक:-

विषय:- स्थानांतरण के उपरांत भी पूर्ववर्ती स्थान का कार्य करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रायः यह देखा जा रहा है कि विभागीय अभियंता स्थानांतरण के उपरांत भी पूर्ववर्ती स्थान पर कार्य कर रहे हैं, जो विभागीय आदेश का अवहेलना है।

अतः यह निदेश दिया जाता है कि बिना विभागीय पूर्वानुमति अथवा घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त किये स्थानांतरण के पश्चात् कोई भी अभियंता पूर्ववर्ती स्थान पर कार्य नहीं करेंगे एवं अपना वेतन नवपदस्थापन स्थान से ही प्राप्त करेंगे।

उक्त का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में विभाग संबंधित अभियंता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र होगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(विकास कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 5205

/रांची, दिनांक:- 20/10/2021

प्रतिलिपि:-सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, रांची/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, रांची/सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, रांची/सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, रांची/सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग), झारखण्ड, रांची/सचिव, भवन-निर्माण विभाग, झारखण्ड, रांची/अभियंता प्रमुख-01 एवं 02 जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी सहायक अभियंता/सभी कनीय अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/वेब/इन्फार्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

h
18/10/21

(विकास कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

18/10/21